<u>न्यायालय-अमनदीपसिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला-बालाघाट, (म.प्र.)</u>

// <u>निर्णय</u> // <u>(आज दिनांक-26/07/2017 को घोषित)</u>

- 1— आरोपी अशोक तेकाम के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 एवं धारा—3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम के तहत् आरोप है कि उसने दिनांक—15.11.2012 को करीब 1:20 बजे आबकारी टोला बैहर प्राथमिक शाला के आगे कटंगी रोड बैहर थाना अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन कमांक एम.पी—50.बी. 5465 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति के चलाया तथा उक्त वाहन को बिना वैध बीमा के चलाया। आरोपी राजेन्द्र गिरी के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा—146/196, 5/180 के तहत् आरोप है कि उसने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा के चालन करवाया तथा उक्त वाहन को बिना चालन अनुज्ञप्ति प्राप्त आरोपी अशोक तेकाम को चालन करने दिया।
- 2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि सी.एच.सी. बैहर से अस्पताल तहरीर प्राप्त होने पर उसके द्वारा जांच में मुर्तजर अशोक पिता श्यामलाल का मुलाहिजा फार्म भरकर उसे आई चोटों का मुलाहिजा कराया गया। मुर्तजर अशोक बेहोश होने से उसके कथन लेख नहीं किये गये। गवाह संतलाल साकिन भारी के कथन लेख किया, जिसमें उसने बताया कि दिनांक 15.11.2012 को गांव भारी से

सामान खरीदने बैहर आये थे। सामान खरीदने के बाद बैहर से करीब 01:00 बजे घर वापस जा रहे थे। मोटर सायिकल स्पलेंडर क्रमांक एम.पी.50बी.5465 को अशोक चला रहा था और वह पीछे बैठा था। आबकारी टोला बैहर के आगे स्कूल के पास अशोक ने मोटर सायिकल को तेज रफतार लापरवाहीपूर्वक चलाकर मेन रोड पर गिरा दिया, जिससे अशोक को चेहरे एवं मस्तक में चोटें आई थी तथा उसे कोई चोट नहीं आई थी। उसने अशोक को ईलाज हेतु ऑटो में बिठाल कर सी.एच.सी. बैहर ले जाकर भर्ती किया था। जांच उपरांत मोटर सायिकल चालक अशोक द्वारा अपराध धारा 279, 337 ता.ही. का पाये जाने से अपराध पंजीकद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटना के समय आरोपी वाहन चालक द्वारा बिना वैध अनुज्ञप्ति के वाहन चलाए जाने एवं बिना वैध बीमा के वाहन चलाने से उसके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा—3/181, 146/196 का ईजाफा किया गया एवं वाहन मालिक राजेन्द्र गिरी के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत धारा—5/180, 146/196, के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा आरोपी को गिरफतार कर अपराम जमानती होने से रिहा किया गया तथा आरोपी को ईलाज हेतु बालाघाट रिफर किया गया था। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— अभियुक्त अशोक तेकाम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 एवं धारा—3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम एवं आरोपी राजेन्द्र गिरी के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा—146/196, 5/180 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्तगण ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूटा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपी अशोक तेकाम ने दिनांक 15.11.2012 को करीब 1:20 बजे आबकारी टोला बैहर प्राथमिक शाला के आगे कटंगी रोड बैहर थाना अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक एम.पी—50.बी.5465 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

- 2. क्या आरोपी अशोक तेकाम ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति के चलाया ?
- 3. क्या आरोपी अशोक तेकाम ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध बीमा के चलाया ?
- 4. क्या आरोपी राजेन्द्र गिरी ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा के चालन करवाया ?
- 5. क्या आरोपी राजेन्द्र गिरी ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना चालक अनुज्ञप्ति प्राप्त आरोपी अशोक तेकाम को चालन करने दिया।

विचारणीय बिन्दु कमांक-01 का निष्कर्ष :-

- 5— साक्षी सोमलाल (अ०सा०—1) ने कहा है कि वह आरोपीगण को पहचानता है। घटना उसके कथन दिये जाने की तिथि से करीबन एक साल पुरानी होकर दिन के 03:00 बजे की है। वह, आरोपी अशोक और संतु मोटरसाईकिल में बैठकर जा रहे थे, तभी अचानक रास्ते में मोड़ पर आरोपी अशोक ने मोटरसाईकिल को मोड़ने में नियंत्रण खो दिया और मोटरसाईकिल गिर गई। उक्त घटना में आरोपी अशोक को चोट आई थी। इसके अलावा किसी को चोट नहीं आई थी। दुर्घटना के समय आरोपी वाहन को कंद्रोल नहीं कर पाया और उसकी गलती से दुर्घटना हुई। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि मोटर सायिकल में तीन लोग बैठकर जा रहे थे और मोटर सायिकल अनबेलेंस होकर गिर गई थी। साक्षी ने कहा है कि गाड़ी धीमी मित से चल रही थी। साक्षी ने कहा है कि दुर्घटना में अशोक की कोई गलती नहीं थी तथा गाड़ी अनबेलेंस होकर गिर गई थी। साक्षी ने कहा है कि पुलिस ने उसके बयान नहीं लिये थे। साक्षी ने कहा है कि उसने पुलिस को गाड़ी का नंबर नहीं बनाया था।
- 6— साक्षी संतलाल (अ०सा०—०२) ने कहा है कि वह आरोपी अशोक को जानता है तथा आरोपी राजेन्द्र को नहीं जानता है। घटना उसके कथन देने से करीब एक साल पुरानी है। वह और आरोपी अशोक बैहर से ग्राम भारी मोटरसाईकिल से जा रहे थे। उक्त मोटरसाईकिल आरोपी अशोक चला रहा था और वह पीछे बैठा था। मोटर सायकिल को अशोक धीरे चला रहा था और रेत आ जाने के कारण गिर गये

थे। उक्त घटना में उसे चोट नहीं आई थी। आरोपी अशोक को चोट लगी थी। उसने पुलिस को उसने घटनास्थल बता दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी अशोक ने घटना दिनांक को मोटर सायकिल को तेज एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर आबकारी टोला स्कूल के पास ले जाकर गिरा दिया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसके बताये अनुसार पुलिस ने घटनास्थल का नजरी नक्शा प्र.पी.01 तैयार की थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह हस्ताक्षर के रूप में अपना अंगुठा लगाता है। साक्षी ने इस बात की जानकारी न होना कहा है कि पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान कहाँ पर लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया घटनास्थल मोड़ होने के कारण गाड़ियाँ धीरे चलती है और घटना के समय आरोपी भी उक्त मोटर सायकिल को धीरे-धीरे चला रहा था। घटनास्थल पर रेत होने के कारण मोटर सायकिल फिसल गई थी। पढ़ा-लिखा नहीं होने के कारण उसने गाड़ी का नंबर पुलिस को नहीं बताया था, परन्तु पुलिस ने कैसे लिख लिया है उसका कारण वह नहीं बता सकता। उसने पुलिस को लापरवाही से चलाने वाली बात भी नहीं बताई थी और पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल पर नजरी–नक्शा प्र.पी.01 नहीं बनाया था, जिस पर उसने थाने में हस्ताक्षर किये थे।

7— साक्षी कानूसिंह खंडाते (अ०सा०—03) ने कहा है कि वह दिनांक 15.11.2012 को प्रधान आरक्षक के पद पर थाना बैहर में पदस्थ था। उक्त दिनांक को डॉक्टर द्वारा तहरीर दी गई थी जो थाने से उसे प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच हेतु अस्पताल जाकर मुर्तजर की पताससजी किया, जो बेहोशी हालत में होने से कथन न कर पाने एवं डॉक्टर द्वारा कथन न देने का लेखकर गवाह संतलाल के कथन लिये गये, जिसके अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। उक्त दिनांक को ही अपराध कमांक 168/12 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई। दिनांक 16.11.2012 को घटनास्थल पर जाकर घटना का मौका—नक्शा प्र.पी.01 गवाहों के समक्ष बनाया था, जिसके ए से ए भाग उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 15.11.2012 को गवाह संतलाल, सोमलाल एवं दिनांक 16.11.2012 को फैयाज के बयान उनके बताये अनुसार लेख किया था। दिनांक 14.12.2012 को आरोपी राजेन्द्र गिरी से हीरोहोण्डा नम्बर एम.पी. 50/बी—5465 की रजिस्द्रेशन की एक प्रति प्र.पी.03 के अनुसार जप्त किया था, जिसपर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 15.12.2012 को आरोपी अशोक

से गवाह केसरसिंह व सोमलाल के समक्ष एक हीरोहोण्डा स्पलेण्डर मोटर सायिकल बिना चाबी के प्र.पी.04 के अनुसार जप्त किया था, जिसपर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 17.12.2012 को गवाहों के समक्ष आरोपी अशोक को प्र.पी.05 के अनुसार गिरफ्तार किया था, जिसपर ए से ए भाग पर उसके हस्तताक्षर है। विवेचना के दौरान मोटर सायिकल लायसेंस एवं बीमा नहीं होने एवं बिना लायसेंस व बीमा के वाहन चलवाने से धारा 3/181, 146/196, 5/180 मो.व्ही.एक्ट का ईजाफा किया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने अस्पताल तहरीर पर अपराध पंजीबद्ध किया था, परन्तु साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उसने मौका नक्शा प्र.पी.01, जप्ती गिरफ्तारी तथा गवाहों के कथन पुलिस थाने में बैठकर तैयार कर लिये थे।

8— भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 के अपराध हेतु यह सिद्ध करना आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा लोकमार्ग पर वाहन को उतावलंपन अथवा उपेक्षापूर्वक रीति से चलाया गया हो। आपराधिक उतावलापन ऐसे बोध के साथ किसी कार्य के करने को कहते है कि उसके रिष्टि पूर्ण एवं अवैध परिणाम हो सकते है। आपराधिक उपेक्षा इस बोध के बिना कोई कार्य करने में है कि उसका अवैध और रिष्टि पूर्ण प्रभाव होगा, परन्तु ऐसी परिस्थितियों में जो कि यह दर्शित करती है कि कर्ता ने उस सावधानी को नहीं बरता है, जो कि उसकी ओर अपेक्षित थी और यदि उसने वह सावधानी बरती होती, जो उसे बोध होता। अभियोजन साक्षियों द्वारा अपनी साक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं किये गये है। घटना का समर्थन किसी साक्षी ने नहीं किया है और दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने घटना के समय आरोपी द्वारा वाहन को धीमी गति से चलाने के कथन किये हैं। ऐसी स्थिति में परिस्थितियाँ स्वयं प्रमाण है, के सिद्धांत के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई बिपरीत निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियुक्त अशोक को भा.दं०ंस0 की धारा—279 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु कमांक-02, 03, 04 एवं 05 का निष्कर्ष :-

9— साक्षी कानूसिंह खंडाते (अ०सा०—०3) के अनुसार विवेचना के दौरान मोटर सायकिल लायसेंस एवं बीमा नहीं होने एवं बिना लायसेंस व बीमा के वाहन चलवाने से धारा 3/181, 146/196, 5/180 मो.व्ही.एक्ट का ईजाफा किया गया था। घटना के दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के द्वारा घटना के समय आरोपी द्वारा वाहन चलाने के कथन किये हैं। अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है और ना ही साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में भी ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं किये गये है कि घटना के समय उसके पास वाहन चलाने का लायसेंस तथा बीमा था। दुर्घटना के समय वैध अनुज्ञप्ति तथा बीमा होने के विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार अभियुक्त पर था, क्योंकि विवेचक साक्षी द्वारा अपनी अखण्डनीय साक्ष्य में उक्त तथ्य को अस्वीकार किया गया है, परन्तु अभियुक्त द्वारा उक्त संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। घटना के समय अभियुक्त द्वारा वाहन चालन दर्शित है। ऐसी स्थिति में यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त द्वारा घटना के समय वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति तथा बिना बीमा के चलाया गया एवं वाहन मालिक अभियुक्त राजेन्द्र द्वारा घटना के समय उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति के व्यक्ति से बिना बीमा के चलवाया गया। फलतः अभियुक्त अशोक को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा—3/181, 146/196 तथा अभियुक्त राजेन्द्र को मोटर व्हीक्ल एक्ट की धारा—3/180, 146/196 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

- 10— अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुये उसे अपराधी परवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रवधानों का लाभ देना अथवा उनके विरूद्ध नर्म रूख लिया जाना उचित नहीं होगा। फलतः उसे एक उचित दण्ड देने की आवश्यकता है।
- 11— अतः अभियुक्त अशोक को मोटर यान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के अपराध के लिए क्रमशः 500/—(पाच सौ) रूपये 1000/— (एक हजार) रुपये तथा अभियुक्त राजेन्द्र को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा—5/180, 146/196 के अपराध के लिये 1,000—1,000/—(एक—एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदंण्ड की राशि अदा ना करने पर अभियुक्तगण को अर्थदण्ड की प्रत्येक राशि के लिए एक—एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 12— अभियुक्तगण प्रकरण में अभिरक्षा में नहीं रहे है, उक्त संबंध में

धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। 13-

प्रकरण में जप्तशुदा वाहन कमांक एम.पी—50.बी.5465 वाहन के 14— पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष मे उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

अभियुक्तगण को निर्णय की प्रतिलिपि धारा 363(1) द्र.प्र.सं. के तहत 15— निशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / – (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

हाबड़ प्रथम श्रे प्राट (म.प्र.) सही / – (अमनदीप सिंह छाबड़ा)